रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-10122020-223629
CG-HR-E-10122020-223629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540]	नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2020/अग्रहायण 18, 1942
No. 540]	NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 25 नवम्बर, 2020

जेईआरसी सं.: 21/2017. —विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86(3) और धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और अन्य सभी शक्तियां जो आयोग को इसके कारण प्राप्त हुई हैं, का प्रयोग करते हुए और पिछले प्रकाशन के बाद, गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, इसके पूर्व प्रकाशन के बाद, गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और खुली पहुंच) विनियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभण और सीमा

i. इन विनियमों को गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी और खुली पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।

ii. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

iii. ये विनियम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी पर लागू हैं।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन:

मुख्य विनियमों के विनियम 2 में निम्नलिखित परिभाषाओं को संशोधित किया जाएगा/ जोड़ा जाएगा:-

"ग.1)" **औसत विद्युत क्रय लागत"** (एपीपीसी) का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी की परिधि में बिजली खरीद का भारित औसत पूल मूल्य, जैसा कि संबंधित वर्ष के टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित है लेकिन इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीदी गई ऊर्जा शामिल नहीं है;"

"घ.1) "ऊर्जा की बैंकिंग" एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र अस्थायी रूप से ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करता है, जो ऐसा इन विनियमों में दी गई शर्तों के अनुसार ग्रिड से इस बिजली को फिर से प्राप्त करने की अपनी पात्रता का प्रयोग करने के आशय से करता है;"

"ड.1) **"बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि'** का अर्थ है वह अवधि जिसके लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसार वितरण लाइसेंसधारी द्वारा नियमित ऊर्जा बिल तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं;"

"ड.2) **"कैप्टिव उत्पादन संयंत्र"** का अर्थ है समय-समय पर संशोधित विद्युत नियम 2005 के खंड 3 के तहत परिभाषित अनुसार कोई विद्युत संयंत्र और ऐसे कैप्टिव संयंत्र में सह-स्थित या दूर स्थित उपभोग संस्था हो सकती है;"

"झ.1) **"कनेक्शन अनुबंध"** का अर्थ है कि वितरण लाइसेंसधारी/ ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और उत्पादन केंद्र या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के अनुमोदन पर किया गया अनुबंध;"

"द.2) **"फीड-इन-टैरिफ"** का अर्थ है, गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 या समय-समय पर संशोधित अनुसार आरई उत्पादन केंद्रों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य टैरिफ;"

"द.3) **"वित्तीय वर्ष"** या **"वर्ष"** का अर्थ है अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में पहली अप्रैल से शुरू होने और अगले वर्ष मार्च की इक्कतीस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि;"

"न.1) **"अंतर-कनेक्शन बिंदु"** का अर्थ पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली, जैसा मामला हो, के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधा का इंटरफ़ेस बिंदु:

i. पवन ऊर्जा परियोजनाओं और सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के संबंध में, इंटर-कनेक्शन बिंदु पूलिंग सब-स्टेशन के एचवी की ओर आउटगोइंग फीडर पर लाइन आइसोलेटर होगा;

ii. लघु पनबिजली, बायोमास बिजली और सौर तापीय बिजली परियोजनाओं के संबंध में, इंटर-कनेक्शन बिंदु जनरेटर ट्रांसफार्मर के एचवी की ओर आउटगोइंग फीडर पर लाइन आइसोलेटर होगा;"

"न.2) **"चालान"** का अर्थ एक आवधिक बिल/ पूरक बिल या उपभोक्ता को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई चालान/ अनुपूरक चालान है;"

"ख.ख.1) **"निर्धारण अवधि"** का अर्थ है, एक अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में पहली अप्रैल से शुरू होने और अगले वर्ष मार्च की इक्कतीस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि;"

"जज.1) वितरण लाइसेंसधारी के संबंध में **"टैरिफ आदेश"** का अर्थ है संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के लिए आयोग द्वारा जारी किया गया आदेश जिसमें वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से वसूले जाने वाले टैरिफ का उल्लेख किया गया है;"

"जज.2) **"तृतीय पक्ष उपभोक्ता"** वितरण लाइसेंसधारी के अलावा एक संस्था है, जो अपने निजी उपयोग के लिए खुली पहुंच के माध्यम से उत्पादन केंद्र से बिजली खरीदती है;"

3. मूल विनियम 4.4 के खंड 4 का लोप किया जाएगा।

4. नए विनियमों का जोड़ा जाना

अध्याय 7 के बाद (शीर्षक **अध्याय 7: वाणिज्यिक मामले**) और मूल विनियमों के अध्याय 8 (शीर्षक **अध्याय 8: सूचना प्रणाली**) से पहले, निम्नलिखित नए अध्याय 7क (शीर्षक **अध्याय 7क: ऊर्जा की बैंकिंग**) और विनियम 7क.1 और 7क.2 जोड़ा जाता है।

"अध्याय 7क: ऊर्जा की बैंकिंग"

"7क.1 ऊर्जा की बैंकिंग के लिए निबंधन एवं शर्तें

1. वितरण लाइसेंसधारी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में खुली पहुंच के माध्यम से तृतीय पक्ष उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति कर रहे सभी कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केंद्रों और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केंद्रों को ऊर्जा की बैंकिंग की व्यवस्था करने की अनुमति देगा, जो वितरण लाइसेंसधारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना किसी भेदभाव के आपूर्ति के अपने क्षेत्रों में इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं:

   परंतु ये विनियम संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग पर आधारित सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) विनियम, 2019 के तहत आने वाले संयंत्रों पर लागू नहीं होंगे।

2. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र द्वारा मासिक आधार पर उत्पादित कुल ऊर्जा के 20% तक की बैंकिंग की अनुमति दी जाएगी:

   बशर्ते कि जमा की गई ऊर्जा को वापस लेने की अनुमति उसी वित्तीय वर्ष के दौरान दी जाए, जिसमें ऊर्जा को जमा किया गया हो।

3. वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग न की गई संरक्षित ऊर्जा जो ऐसे वित्तीय वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र द्वारा कुल उत्पादन का 20% तक सीमित है, को औसत बिजली खरीद लागत (एपीपीसी) पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सब्सिडी और त्वरित मूल्यह्रास, जो भी कम हो, का लिहाज किए बिना उस वर्ष के लिए निर्धारित संबंधित वितरण लाइसेंसधारी या फीड-इन-टैरिफ के लिए खरीदा गया माना जाएगा।

4. वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग न की गई संरक्षित ऊर्जा, जो ऐसे वित्तीय वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र द्वारा कुल उत्पादन का 20% से अधिक है, समाप्त हो जाएगी और वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी ऊर्जा पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।

5. संरक्षित ऊर्जा पर 5% की दर से बैंकिंग प्रभार लागू होंगे। बैंकिंग प्रभार संरक्षित ऊर्जा के निकालने के समय लागू होंगे। वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग न की गई संरक्षित ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र द्वारा कुल उत्पादन के 20% तक सीमित है, के लिए वितरण लाइसेंसधारी बैंकिंग प्रभार को समायोजित करने के बाद उपयोग न की गई ऊर्जा का भुगतान करेगा।

6. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र के पूरे उपयोगी जीवन के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में खुली पहुंच के तहत तृतीय पक्ष को बिजली की आपूर्ति करने वाले कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केंद्र और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केंद्र को बैंकिंग सुविधा की अनुमति दी जाएगी।

7. बैंकिंग सुविधा की अनुमति केवल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (बिजली की अंतर-राज्य आपूर्ति) के भीतर कैप्टिव खपत या तृतीय पक्ष की बिक्री के लिए बिजली की आपूर्ति करने वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों को ही दी जाएगी।

8. उत्पादन केंद्र (कैप्टिव उत्पादन केंद्र सहित) और वितरण लाइसेंसधारी और/ या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी एक व्हीलिंग, ट्रांसमिशन और बैंकिंग समझौता (डब्ल्यूटीबीए) करेंगे। व्हीलिंग, ट्रांसमिशन और बैंकिंग समझौते का प्रारूप आयोग द्वारा अलग से जारी किया जाएगा।

9. उत्पादन केंद्र (कैप्टिव उत्पादन स्टेशन सहित) और वितरण लाइसेंसधारी कनेक्टिविटी प्रदान कए जाने पर एक कनेक्शन समझौता करेंगे। आयोग द्वारा कनेक्शन समझौते का प्रारूप अलग से जारी किया जाएगा।

बशर्ते कि ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और उत्पादन केंद्र या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या उपभोक्ता के बीच कनेक्शन समझौता, जैसा भी मामला हो, एसटीयू द्वारा जारी किया जाएगा।"

"7क.2 बैंकिंग का वाणिज्यिक निपटान

1. प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए, वितरण लाइसेंसधारी बिलिंग अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र द्वारा भेजी गई बिजली की मात्रा, बिलिंग अवधि में ऐसे उत्पादन केंद्र से कैप्टिव उपभोक्ता/ तृतीय पक्ष उपभोक्ता द्वारा निकाली गई बिजली की मात्रा, उस बिलिंग अवधि के लिए कैप्टिव उपभोक्ता/ तृतीय पक्ष उपभोक्ता द्वारा भुगतान के लिए निवल बिजली अर्हता प्राप्त करना, और अगली बिलिंग अवधि के लिए अलग से अग्रेनीत कुल बिजली को दर्शाएगा।

2. यदि दी गई बिजली, बिलिंग अवधि के दौरान वापस ली गई बिजली से अधिक हो जाती है, तो ऐसी अतिरिक्त दी गई बिजली को अगली बिलिंग अवधि में बिजली के क्रेडिट के रूप में अग्रेनीत किया जाएगा बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र द्वारा उत्पादित बिजली अधिकतम 20% हो और इसका उपयोग भावी बिलिंग अवधि में निकाली गई कुल बिजली के लिए किया जाएगा।

3. यदि निकाली गई बिजली आरई आधारित उत्पादन केंद्र द्वारा दी गई बिजली से बढ़ जाती है, तो वितरण लाइसेंसधारी बैंकिंग प्रभारों और पिछली बिलिंग अवधि के शेष क्रेडिट बकाया को ध्यान में रखते हुए कैप्टिव उपभोक्ता/ तृतीय पक्ष उपभोक्ता द्वारा निकाली गई कुल बिजली के लिए चालान प्रस्तुत करेगा।

4. पिछली बिलिंग अवधि से बिजली के क्रेडिट को समायोजित करने के बाद बिलिंग अवधि के दौरान निकाली गई कुल ऊर्जा को कैप्टिव उपभोक्ता/ तृतीय पक्ष उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया गया माना जाएगा और वितरण लाइसेंसधारी संबंधित वर्ष के लिए खुदरा टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार टैरिफ दरों पर बिल दिया जाएगा।

5. वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग न की गई शेष ऊर्जा, जो अक्षय ऊर्जा उत्पादन केंद्र द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा का 20% तक सीमित है, को वितरण लाइसेंसधारी को बेचा गया माना जाएगा और इसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र को सब्सिडी और त्वरित मूल्यह्रास, जो भी कम हो, पर विचार किए बिना उस वर्ष के लिए संबंधित वितरण लाइसेंसधारी या फीड-इन-टैरिफ की निर्धारित औसत बिजली क्रय लागत पर भुगतान किया जाएगा।"

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन .-III/4/असा./403/2020-21]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)

NOTIFICATION

Gurugram, the 25th November, 2020

JERC No.: 21/2017.—In exercise of the powers conferred under section 86(3) and Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling the Commission in this behalf and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories hereby, after prior publication, makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Connectivity and open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017.

1. Short Title, Commencement and Extent

i. These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) (First Amendment) Regulations, 2020.

ii. These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

iii. These regulations extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:

The following definitions shall be amended/added in Regulation 2 of the Principal Regulations:—

"c.1) **"Average Power Purchase Cost"** (APPC) means the Weighted Average Pooled Price of power purchase at Distribution Licensee's periphery, as approved by the Commission in the Tariff Order of the respective year but excluding energy purchased from Renewable Energy sources;"

"d.1) "**Banking of Energy**" is the process under which a Renewable Energy Generating Station supplies power to the grid temporarily with the intention of exercising its eligibility to draw back this power from the grid as per the conditions provided in these Regulations;"

"e.1) **"Billing cycle or billing period''** means the period for which regular energy bills as specified by the Commission, are prepared and raised by the Distribution Licensee;"

"e.2) **"Captive Generating Plant"** means a power plant as defined under Clause 3 of the Electricity Rules, 2005 as amended from time to time and such captive plant may have co- located or distant located consumption entity;"

"i.1) **"Connection Agreement"** means the agreement to be entered into on approval of grant of Connectivity between a Distribution Licensee/Transmission Licensee and Generating Station or a Captive Generating Plant or a Consumer, as the case may be;"

"r.2) **"Feed-in-Tariff"** means the Generic Tariff determined by the Commission for RE generating stations in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2019 or as amended from time to time;"

"r.3) **"Financial year"** or **"Year"** means the period beginning from first of April in an English calendar year and ending with the thirty first of the March of the next year;"

"u.1) **"Inter-connection point"** shall mean interface point of Renewable Energy generating facility with the transmission system or distribution system, as the case may be:

i. in relation to wind energy projects and solar photovoltaic projects, inter-connection point shall be line isolator on outgoing feeder on HV side of the pooling sub-station;

ii. in relation to small hydro power, biomass power and solar thermal power projects, the inter-connection point shall be line isolator on outgoing feeder on HV side of generator transformer;"

"u.2) **"Invoice"** means a periodical Bill/Supplementary Bill or an Invoice/ Supplementary Invoice raised by the Distribution Licensee to the Consumer;"

"bb.1) **"Settlement Period"** means the period beginning from first of April in an English calendar year and ending with the thirty first of the March of the next year;"

"hh.1) **"Tariff Order"** in respect of a Distribution Licensee means the order in force issued by the Commission for that Distribution Licensee indicating the tariff to be charged by the Distribution Licensee from various categories of consumers for supply of electricity;"

"hh.2) **"Third Party Consumer"** is an entity apart from Distribution Licensee, purchasing power from Generating Station through open access for its own use;"

3. Clause 4 of the principal Regulation 4.4 shall be omitted.

4. Insertion of New Regulations

After the Chapter 7 (titled **Chapter 7: Commercial Matters**) and before the Chapter 8 (titled **Chapter 8: Information System**) of the Principal Regulations, the following new Chapter 7A (titled **Chapter 7A: Banking of Energy)** and Regulations 7A.1 & 7A.2 are inserted.

"Chapter 7A: Banking of Energy"

"7A.1 Terms and Conditions for Banking of Energy

1. The Distribution Licensee shall allow the arrangement of Banking of Energy to all the Captive Renewable Energy based Generating Stations and Renewable Energy based Generating Stations supplying power to Third Party Consumer through Open Access in State/Union Territory, who intend to avail such facility, in its area of supply on non-discriminatory basis in accordance with the guidelines issued by the Distribution Licensee:

   Provided that these Regulations shall not be applicable for the plants covered under Joint Electricity Regulatory Commission (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019.

2. Banking of Energy upto 20% of the total energy generated by Renewable Energy Generating Station on monthly basis shall be allowed:

   Provided that withdrawal of banked energy shall be allowed only during the same financial year in which the energy has been banked.

3. The unutilised banked energy at the end of the financial year, limited to 20% of the total generation by Renewable Energy Generating Station in such financial year, shall be considered as deemed purchase by the Distribution Licensee at Average Power Purchase Cost (APPC) of the concerned Distribution Licensee or Feed-in-Tariff determined for that year without considering subsidy and Accelerated Depreciation, whichever is lower.

4. The unutilised banked energy at the end of the financial year, in excess of 20% of total generation by Renewable Energy Generating Station in such financial year shall lapse and no compensation shall be applicable on such energy at the end of the financial year.

5. Banking Charges at the rate of 5% of the banked energy shall be applicable in kind. Banking Charges shall be applicable at the time of drawal of banked energy. For unutilized banked energy at the end of financial year limited to 20% of total generation by Renewable Energy Generating Station, Distribution Licensees shall make payment or unutilized energy after adjusting the banking charges.

6. The Banking Facility shall be allowed to Captive Renewable Energy based Generating Stations and Renewable Energy based Generating Stations supplying power to third-party under Open Access in State/Union Territory, for the entire useful life of the Renewable Energy Generating Station.

7. Banking facility shall only be allowed to Renewable Energy Generating Stations supplying power for captive consumption or third-party sale within the State/Union Territory (Intra-State supply of power).

8. The Generating Station (including Captive Generating Station) and Distribution Licensee and/or Transmission Licensee shall enter into a Wheeling, Transmission and Banking Agreement (WTBA). The format of Wheeling, Transmission and Banking Agreement shall be issued by the Commission separately.

9. The Generating Station (including Captive Generating Station) and the Distribution Licensee shall enter into a Connection Agreement upon grant of Connectivity. The format of Connection Agreement shall be issued by the Commission separately.

Provided that the Connection Agreement between a Transmission Licensee and Generating Station or a Captive Generating Plant or a Consumer, as the case may be, shall be issued by the STU. ”

“7A.2 Commercial Settlement of Banking

1. For each billing period, the Distribution Licensee shall show the quantum of electricity injected by the Renewable Energy Generating Station in the billing period, quantum of electricity withdrawn by the Captive consumer/Third Party consumer from such Generating Station in the billing period, net electricity qualifying for payment by the Captive Consumer/Third Party consumer for that billing period, and net carried over electricity to the next billing period separately.

2. If the electricity injected exceeds the electricity withdrawn during the billing period, such excess injected electricity shall be carried forward to the next billing period as electricity credit subject to maximum of 20% of electricity generated by Renewable Energy Generating Station and shall be utilized to net the electricity withdrawn in future billing periods.

3. If the electricity withdrawn exceeds the electricity injected by the RE based Generating Station, the Distribution Licensee shall raise invoice for the net electricity withdrawn by the Captive Consumer/Third Party consumer after taking into account Banking Charges and any electricity credit balance remaining from previous billing period.

4. The net energy withdrawn during the billing period after adjusting the electricity credit from previous billing period shall be treated as consumed by the Captive Consumer/Third Party consumer and shall be billed by the Distribution Licensee at the tariff rates as approved by the Commission in the retail tariff order for the relevant year.
5. The banked energy remaining unutilized at the end of the financial year limited to 20% of the total energy generated by Renewable Energy Generating Station shall be treated as sold to the Distribution Licensee and shall be paid to the Renewable Energy Generating Station by the Distribution Licensee at the Average Power Purchase Cost of the concerned Distribution Licensee or Feed-in-Tariff determined for that year without considering subsidy and Accelerated Depreciation, whichever is lower.”

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./403/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.10 18:11:16 +05'30'